


2201121

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर साबित मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप सप्ट अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2021/ 294

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 17.02.21

अप्रार्थीगण

नारायणसिंह 2 रूपसिंह पिसारान
रिडमलसिंह 3 डेलकंवर पत्नी रिडमलसिंह 4
खुमाणसिंह 5 देवीसिंह पिसारान समर्थसिंह 6
सरेकंवर पत्नी समर्थसिंह 7 सुगणोंकंवर पत्नी
नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी
पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी 8
कमला पत्नी गोभाराम जाति जाट निवासी
मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

1 चेनाराम पुत्र बगताराम 2 सोनाराम पुत्र
खुमाराम 3 मूलाराम पुत्र दानाराम 4 गंगाराम
5 बालाराम पिसारान दलाराम 6 सताराम 7
देवाराम पिसारान शिरामाराम 8 भूराराम पुत्र
रणछोडाराम जाति जाट निवासी
पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी 9
देवीसिंह पुत्र हरीसिंह 10 सागसिंह पुत्र
लक्ष्मणसिंह 11 मोढसिंह 12 तनसिंह
पिसारान दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी
पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 10/2020

दिनांक- 22/01/21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2021/ 295-98

दिनांक- 17.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नारायणसिंह पुत्र रिडमलसिंह बगैराह जाति राजपूत निवासी पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चेनाराम पुत्र बगताराम बगैराह जाति जाट निवासी पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर